उत्प्रवासन और आप

प्रस्तावना

भारत से नियोजन के लिए अन्य देशों में भारतीय नागरिकों के उत्प्रवासन और उत्प्रवासियों की वापसी से संबंधित कार्य का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय का है। उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधान भारत से उत्प्रवासन को अधिशासित करते हैं। उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 में संविदात्मक विदेशी नियोजन हेतु भारतीय कामगारों के उत्प्रवासन के लिए नियामक रूपरेखा के प्रावधान है जो उनके हितों की सुरक्षा करते हैं और उनका कल्याण सुनिश्चित करते हैं। अधिनियम, भर्ती एजेंटो का उत्प्रवासी महासंरक्षक के पास पंजीकरण अनिवार्य करता है।

उत्प्रवासन क्या है ?

उत्प्रवासन का तात्पर्य है किसी व्यक्ति का भारत से नियोजन (करार के अधीन हो अथवा नहीं, पंजीकृत भर्ती एजेंट अथवा नियोक्ता की सहायता अथवा बिना सहायता के) भारत के बाहर किसी देश अथवा स्थान में प्रस्थान करना।

भारतीय उत्प्रवासी

भारतीय कामगारों के अन्य देशों में उत्प्रवासन की प्रक्रिया चिरकाल से अनवरत रही है। भारतीय कामगार ने नई प्रतिभा और उत्साह के स्त्रोत के रूप में अपने गृह देश और जिस देश में वह कार्य करता है, दोनों में आर्थिक विकास में योगदान दिया है।

18 ईसीआर देशों को दी गई उत्प्रवासन मंजूरी

उत्प्रवासियों की संख्या जो 18 अधिसूचित ईसीआर देशों के ईसीआर पासपोर्ट धारक हैं, में विगत वर्षों में काफी वृद्धि हुई है जिसे निम्नलिखित आंकडो में दर्शाया गया है:

क्र. स.	वर्ष	कुल मंजूर उत्प्रवासन अनुमति
1	2012	746326
2	2013	819701
3	2014	762740
4	2015	782082
5	2016 (20 दिसंबर तक)	507885

विश्व में फैलाव

तेल में 1970 में अप्रत्याशित तेजी के दौरान भारतीय प्रवासी खाड़ी देशों में जाते हुए देखे गए, वे अमरीका, यू.के, जर्मनी और कनाडा जैसे विकसित देशों और दक्षिण-पूर्वी एशिय और आस्ट्रेलिया की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी गए। किंतु, खाडी क्षेत्र में भारतीय उत्प्रवासियों की संख्या काफी अधिक रही- फिलहाल लगभग 4.5 मिलियन कामगार यहां कार्य करते हैं।

सांविधिक संरचना

विधि का उद्भव

भारत सरकार ने संविदा आधार पर नियोजन हेतु विदेश जाने वाले कामगारों को नियंत्रित करने, सहायता देने और मार्गदर्शन करने के लिए उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 प्रख्यापित किया। अधिनियम की उत्पति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय (कांगा और अन्य बनाम भारत सरकार, दिनांक 20.03.1979) से हुई जिसमें शीर्ष नयायालय ने यह निर्णय दिया कि उत्प्रवासन का नियंत्रण इसके उपरोक्त आदेश में दिए गए दिशानिर्देश के आधार पर किया जाना चाहिए। अधिनियम के प्रख्यापन से उत्प्रवासियों और उनके हितों का संरक्षण करना अब विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में उत्प्रवासी महासंरक्षक कार्यालय का उत्तरदायित्व है।

उत्प्रवासन अधिनियम, 1983

विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों के हितों की सरंक्षा करने के लिए उत्प्रवासन अधिनियम,**1983** में विदेशों में संविदात्मक नियोजन के इच्छुक सभी कामगारों को उत्प्रवासी संरक्षक के दस कार्यालयों में से किसी से उत्प्रवासन मंजूरी प्राप्त करनी होगी। अधिनियम में यह जनादेश भी है कि कोई भी एजेंसी/स्थापना उत्प्रवासी महासंरक्षक, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से पंजीकरण प्राप्त किए बिना विदेश में नियोजन हेतु भारतीयों की भर्ती नहीं कर सकते।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- किसी भी भारतीय नागरिक की विदेश में नौकरी के लिए भर्ती अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत भर्ती एजेंट के जरिए अथवा उत्प्रवासी महासंरक्षक द्वारा जारी वैध परमिटधारक नियोक्ता द्वारा की जा सकती है।
- कोई भी भारतीय नागरिक (जब तक छूट न दी गई हो) संबंधित उत्प्रवासी संरक्षक से उत्प्रवासन मंजूरी प्राप्त किए बिना उत्प्रवास नहीं कर सकता।

संगठनात्मक संरचना

विदेश मंत्रालय उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 का प्रशासक है अधिनियम का प्रवर्तन उत्प्रवासी महासंरक्षक करना है। उत्प्रवासी संरक्षक के दस कार्यालय उत्प्रवासी महासरंक्षक के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करते हैं जो चण्डीगढ़, कोचीन, चैन्नई, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, रायबरेली, और तिरूअनंतपुरम में स्थित हैं। विदेश में नियोजन के इच्छुक आवेदक जिसके पास 'उत्प्रवासन जांच अनिवार्य ' पृष्ठांकन सहित पासपोर्ट है वह यथानिर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर इन दस कार्यालयों में से किसी से उत्प्रवासन मंजूरी प्राप्त कर सकता है। ईसीएनआर पासपोर्ट धारक अथवा बिना मोहर पासपोर्ट धारक व्यक्तियों को उत्प्रवासन मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।

उत्प्रवासन प्रक्रिया

उत्प्रवासन जांच अनिवार्य (ईसीआर) श्रेणी

जिन श्रेणियों के व्यक्तियों के पासपोर्ट पर " उत्प्रवासन जांच अनिवार्य" (ईसीआर) के रूप में पृष्ठांकन किया गया है उन्हें विदेशी नियोजन करने हेतु विदेश यात्रा करने से पूर्व उत्प्रवासी सरंक्षक के कार्यालय से उत्प्रवासन मंजूरी प्राप्त करनी होती है। 2007 से पूर्व नियोजन के इतर प्रयोजनों के लिए विदेश यात्रा करने हेतु उत्प्रवासन जांच का 'निलंबन'प्राप्त करना होता था।

1 अक्तूबर, 2007 से 'निलंबन' प्राप्त करने की आवश्यकता सामाप्त कर दी गई है। उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 की धारा 22 की उत्प्रवासन जांच आवश्यक नहीं (ईसीएनआर) श्रेणी में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक संबंधित उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालय से उत्प्रवासन प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना उत्प्रवास नहीं करेगा। तथापि, लोगों के संचालन को सुकर करने की दृष्टि से 13 श्रेणियों के व्यक्तियों (इस अध्याय के अंत में सूचीबद्ध) को इस आवश्यकता से छूट दी गई है और उन्हें 'उत्प्रवासन जांच आवश्यक नहीं (ईसीएनआर) श्रेणी में रखा गया है, इस प्रकार के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों से अपने पासपोर्ट पर ईसीएनआर पृष्ठांकन के पात्र हैं। ऐसे व्यक्तियों को विदेश में उत्प्रवासन मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

जब उत्प्रवासन मंजूरी आवश्यक नहीं हो

- ईसीएनआर पासपोर्ट /बिना मुहर के पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले व्यक्ति (सूची देखें)
- किसी भी ईसीएनआर देश में यात्रा करने वाले व्यक्ति (सूची देखें)
- साऊदी अरव में हज और उमराह जाने वाले तीर्थयात्री और साऊदी अरब, सीरिया, ईरान, जोर्डन, इजिप्ट और यमन में जिआरात करने के घोषित प्रयोजन से यात्रा करने वाले तीर्थयात्री।

कामगारों की व्यक्तियों/श्रेणियों की सूची जिनके लिए उत्प्रवासन जांच अनिवार्य नहीं है। बिना नहीं है/बिना मुहर के पासपोर्ट के पात्र है

1. सभी राजपत्रित/सरकारी पासपोर्ट धारक।
2. सभी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी।
3. सभी आयकर दाता (कृषि आयकर दाता सहित) अपनी व्यैक्तिक क्षमता में
4. सभी व्यवसायिक डिग्री धारक जैसेकि एमबीबीएस डिग्री अथवा आयुर्वेद अथवा होम्पोपैथ में डिग्री धारक डॉक्टर; मान्या प्राप्त पत्रकार; इंजीनियर; सनदी लेखाकार; व्याख्याता; अध्यापक; वैज्ञानिक; अधिवक्ता आदि।
5. (2) से (4) में सूचीबद्ध श्रेणियों के व्यक्तियों के पति/पत्नी और आश्रित बच्चे।
6. कक्षा 10 अथवा उच्च योग्यता धारक व्यक्ति
7. नाविक जिनके पास सीडीसी है अथवा समुद्री कैडेट डैस्क कैडेट i)जिन्होंने टी.एस.चाणक्या, मुंबई से तीन वर्षीय बी.एससी समुद्री विज्ञान पाठ्यक्रमों की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; और ii) जिन्होंने किसी भी सरकारी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान जैसेकि टी.एस. चाणक्या, टी.एस राहमान,टी.एस. जवाहर, एमटीआई (एससीआई) और एनआईपीएम, चैन्नई द्वारा जारी पहचानपत्र प्रस्तुत करने के बाद तीन माह का समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण प्रापत किया है।
8. स्थायी उत्प्रवासन वीजा धारक व्यक्ति जैसेकि यू.के., अमरीका और आस्ट्रेलिया वीजा।
9. राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमाधारक व्यक्ति अथवा केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटैक्नीक जैसे संस्थानों से तीन वर्षीय डिप्लोमा/समकक्ष डिग्रीधारक व्यक्ति।
10. भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम,1947 के अंतर्गत मान्य योग्यता धारक नर्स।
11. 50 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी व्यक्ति
12. सभी व्यक्ति जो तीन से अधिक वर्षों से विदेश में रह रहे हैं (तीन वर्षों की अवधि एक बार अथवा टुकडो में हो सकती है) और उनके पति/पत्नी।
13. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

उन देशों की सूची जिनके लिए उत्प्रवासन जांच अनिवार्य नहीं है परिशिष्ट I में दी गई है।

उन देशों की सूची जिनके लिए उत्प्रवासन जांच अनिवार्य नहीं है परिशिष्ट II में दी गई है।

उत्प्रवासन अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर तैनात उत्प्रवासन अधिकारियों को निम्नलिखित श्रेणी के उनके पासपोर्ट पर 'ईसीआर' पृष्ठांकन वाले व्यक्तियों को आपात स्थितियों में विदेश जाने हेतु विभाग में जाने की अनुमति देने की शक्तियां दी गई है:

i) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसेकि केंद्रीय और राज्यमंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य आदि और उनके साथ उनके परिवार सदस्य।

ii) राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट अथवा ईसीआर पृष्ठांकन वाले पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले केंद्रीय राज्य सरकार के अधिकारी और उनके साथ उनके परिवार सदस्य।

iii) उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्र बशर्ते कि वे विदेश में अपने दाखिले के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

iv) विदेश में अपने किसी संबंधी की अचानक मृत्यु के कारण विदेश जाने वाले व्यक्ति।

v) दुर्घटना के कारण किसी चोट के चिकित्या उपचार अथवा अपनी अथवा विदेश में अपने किसी संबंधी की गंभीर स्वास्थ्य समस्या के लिए विदेश जाने वाले व्यक्ति।

vi) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण/कोचिंग कार्यक्रमों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाडी बशर्ते उनकी विदेश यात्रा का युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदन किया गया हो।

उत्प्रवासन मंजूरी हेतु दिशा-निर्देश

उत्प्रवासन मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। व्यैक्तिकों को उत्प्रवासन मंजूरी उसी दिन दी जाती है जिस दिन उसने उत्प्रवासी संरक्षक के किसी भी कार्यालय में आवेदन दिया हो। समूह के लिए मंजूरी भी सभी उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालयों में उसी दिन दी जाती है।

उत्प्रवासन मंजूरी की प्रक्रिया

1. वीजा में इंगित व्यवसाय का नियोजन संविदा में इंगित व्यवसाय के साथ मिलान न होने पर भर्ती एजेंट से शपथ-पत्र प्राप्त किया जाए।
2. नियोजन के देश में आगमन पर वीजा की मुहर लगने की स्थिति में उत्प्रवासन मंजूरी संबंधित विदेशी दूतावास द्वारा जारी 'अनापति प्रमाणपत्र' के आधार पर दी जा सकती है।
3. भर्ती एजेंट को निम्नालिखित पुष्टिकरण का शपथ-पत्र देना होगा:

i. यह कि विदेशी नियोक्ता के संबंध में संबंधित विदेशी मिशन/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक नाम के समक्ष दिए गए ब्यौरे सहित कामगार के पासपोर्ट के साथ संलग्न/पृष्ठांकित नियोजन वीजा वास्तविक है और उल्लिखित अवधि के लिए वैध है;

ii. यहा कि भर्ती एजेंट ने कामगार की भर्ती की है और विदेशी नियोक्ता से मांग प्राप्त हुई है (जहां लागू हो);
iii. यह कि कामगार को उसी विदेशी नियोक्ता के यहां नियोजित किया जाएगा जिसके लिए उसकी भर्ती की जा रही है और नियोक्ता के देश में पहुंचने पर विदेशी नियोक्ता उसकी अगवानी करेगा;
iv. यह कि कामगार ट्रेड परीक्षण किया गया है और जिस कार्य के लिए उसे नियोजित किया जा रहा है उसके लिए वह उपयुक्त है;
v. यह कि कामगार को न्यूनतम वांछित वेतन दिया जाएगा और वह नियोजन के देश में यथावांछित नियोजन शर्तों के लिए न्यूनतम मानकों द्वारा शासित होगा;
vi. यह कि कामगार का नियोजन उसी कार्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उसकी भर्ती की गई है।
vii. यह कि महिला कामगार को नौकरानी/घरेलू नौकर (जहां लागू हो) के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा।
viii. यह कि भर्ती एजेंट कामगारों के उपरोक्त वर्णित ब्यौरे एक रजिस्टर में रखे रहा है।

4. ईराक को कोई मंजूरी नहीं दी जा रही है क्योंकि सरकार ने ईराक ने उत्प्रवासन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।

5. काली सूची में दर्ज किसी भी विदेशी नियोक्ता द्वारा भारतीय नागरिकों की भर्ती के लिए कोई उत्प्रवासन मंजूरी नहीं दी जाएगी।

उत्प्रवासन मंजूरी हेतु आवेदन

उत्प्रवासन मंजूरी हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सीधे आवेदक द्वारा अथवा भर्ती एजेंट के जरिए अथवा संबंधित कुशल नियोक्ता के जरिए दिया जाए।

उत्प्रवासन सरंक्षक से सीधे उत्प्रवासन मंजूरी चाहने वाले कुशल/अकुशल कामगार (व्यैक्तिक)अर्द्ध-कुशल कामगार (भर्ती एजेंटो के जरिए नहीं) को जांच के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें जिन्हें वासप कर दिया जाएगा:

i. न्यूनतम छह माह की अवधि का वैध पासपोर्ट और वैध वीजा।
ii. विदेशी नियोक्ता का नियोजन संविदा।
iii. निर्धारित शुल्क जमा करने का चालान।
iv. बीमा पॉलिसी-प्रवासी भारतीय बीमा योजना।

नौकरानी/घरेलू कामगार के रूप में विदेशी नियोजन चाहने वाले अकुशल कामगार (व्यैक्तिक) अकुशल कामगार और महिला (30 वर्ष की आयु से कम नहीं) को निम्नलिखित दस्तावेज (मूल में) उत्प्रवासन मंजूरी प्राप्त करने के समय प्रस्तुत करना जारी रहेगा:

i. न्यूनतम छह माह की अवधि का वैध पासपोर्ट और वैध वीजा।
ii. विदेशी नियोक्ता का नियोजन संविदा जो भारतीय मिशन से साक्ष्यांकित हो अथवा संबंधित भारतीय मिशन/पासपोर्ट से अनुमति-पत्र।
iii. निर्धारित शुल्क जमा करने का चालान।
iv. बीमा पॉलिसी (आईआरडीए के पास पंजीकृत किसी कंपनी से)

कुशल/अर्द्धकुशल कामगार के रूप में उत्प्रवासन मंजूरी चाहने वाले कुशल/अर्द्धकुशल कामगार(भर्ती एजेंट के जरिए)को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें:

i. कामगार का न्यूनतम छह माह की अवधि का वैध पासपोर्ट और वैध वीजा।
ii. विदेशी नियोक्ता का नियोजन संविदा, मांग-पत्र और मुख्तियारनाम।
iii. निर्धारित शुल्क जमा करने का चालान।
iv. बीमा पॉलिसी-प्रवासी भारतीय बीमा योजना-25 दिसंबर, 2003 से लागू।

कुशल/अर्द्धकुशल कामगार के लिए आवश्यकताओं के अतिरिक्त अकुशल कामगारों के लिए वांछित दस्तावेज, ऊपर (ii) में उल्लिखित सभी नियोजन दस्तावेजों को भारतीय मिशन से साक्ष्यांकित करवाना होगा।

उत्प्रवासी संरक्षक, आवेदन में उल्लिखित विवरणों की सत्यता और आवेदन के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के बारे में संतुष्ट होने पर निर्धारित प्रपत्र और स्वरूप में उत्प्रवासन मंजूरी प्रदान करता है। कोई कमी रहने पर उत्प्रवासी संरक्षक, आवेदक अथवा भर्ती एजेंट अथवा नियोक्ता जिसके जरिए आवेदन दिया गया है, जो भी स्थिति हो, को लिखित आदेश द्वारा सूचित करेगा।

आवेदन का अस्वीकरण

उत्प्रवासी संरक्षक निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक कारणों से उत्प्रवासन मंजूरी हेतु आवेदन को अस्वीकार कर सकता है:

क) यह कि आवेदन जिस नियोजन को लेना चाहता है उसकी शर्तें और निबंधन पक्षपाती अथवा शोषक हैं;
ख) यह कि आवेदक जो नियोजन लेना चाहता है वह ऐसे प्रकार का है जो भारत की विधि के अनुसार गैर-कानूनी है अथवा भारत की लोकनीति को भंग करता है अथवा मानवीय प्रतिष्ठा और शालीनता के मानकों का उल्लंघन करता है;
ग) यह कि आवेदक को निम्न-मानक कार्यकारी अथवा जीवन-यापन परिस्थितियों में कार्य अथवा रहना होगा;
घ) यह कि आवेदक जिस देश में नियोजन लेना चाहता है उस देश की वर्तमान परिस्थितियों अथवा आवेदक जिस नियोजन को लेना चाहता है उसके नियोक्ता के पूर्ववृत्त अथवा कोई अन्य संगत परिस्थिति जो आवेदक के उत्प्रवासन के हित में नहीं होगा;

ङ) यह कि आवेदक के भारत में प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक हो सकने वाले खर्चों की पूर्ति के लिए कोई प्रावधान अथवा व्यवस्था नहीं की गई है अथवा इस संबंध में किया गया प्रावधान अथवा व्यवस्था कथित प्रयोजन के लिए प्रर्याप्त नहीं है।

भर्ती प्रक्रिया

भर्ती एजेंट

भर्ती को सरल और कारगार बनाने और उत्प्रवासियों के हितों की संरक्षा करने के लिए उत्प्रवासन अधिनियम,**1983** में अनुबंध किया गया है कि पीजीई से पंजीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाल भर्ती एजेंट ही विदेशी नियोजन हेतु भर्ती कर सकते है। पीजीई ने विदेशी नियोजन के लिए कामगार भर्ती करने वाली लगभग 1800 प्राईवेट एजेंसियों के अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में राज्य जनशक्ति निर्यात कार्पोरेशन को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है। पंजीकृत भर्ती एजेंटों की पूरी सूची www.emigrate.gov.in पर ऑनलाईन देखी जा सकती है। अधिकांश भर्ती एजेंट मुंबई, दिल्ली, चैन्नई और त्रिवेंद्रम में स्थित हैं। पंजीकरण प्रमाणपत्र महासंरक्षक के कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच के बाद जारी किया जाता है। उत्प्रवासी भर्ती एजेंट की सत्यता का निर्धारण पीजीई और पीओई कार्यालय से कर सकते हैं।

सीधी भर्ती

उत्प्रवासी महासंरक्षक से परमिट प्राप्त करने वाले विदेशी नियोक्ता के मामले में सीधी भर्ती अनुमत है।

सेवा प्रभार

सरकार ने यह मानते हुए कि भर्ती एजेंट संभावित उत्प्रवासियों को सेवा प्रदान कर रहे हैं उन्हें सेवा प्रभार लगाने की अनुमति दी है। तथापि, सरकार ने किसी दुरूपयोग अथवा अधिक प्रभार की रोकथाम करने के लिए अधिकतम सेवा प्रभार की सीमा तय की है जो एजेंट प्रत्येक कामगार से ले सकते हैं।

भर्ती एजेंटों द्वारा नौकरी का विज्ञापन

भर्ती एजेंटों के लिए विदशों में नौकरी का विज्ञापन देते समय पंजीकरण प्रामणपत्र का उल्लेख करना अनिवार्य है। विज्ञापन जारी करने से पूर्व भर्ती एजेंट को विदेशी नियोक्ता से तीन नियोजन दस्तावेज-मांग-पत्र, नमूना संविदा और मुख्तियारनामा लेना अनिवार्य है। उत्प्रवासी एजेंट यथार्थता की पुष्टि चण्डीगढ़, कोचीन, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, रॉयबरेली, और त्रिवेंद्रम में स्थित निकटतम उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालय अथवा मंत्रालय की सरकारी वेबसाईट (http://www.emigrate.gov.in|) से कर सकता है। वह भर्ती एजेंट को पंजीकरण प्रमाणपत्र और ऊपर वर्णित तीन दस्तावेज दिखाने के लिए भी कह सकता है।

नियोजन का अनिवार्य साक्षयांकन

दस्तावेज

कुछ अनैतिक भर्ती एजेंटो द्वारा उत्प्रवासी सरंक्षक को प्रस्तुत नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए "अकुशल कामगारों" और "नौकरानी" के मामले में नियोजन का साक्षयांकन अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा यदि भर्ती यमन, लेबनान, लिबिया, जोर्डन, कुवेत, सुडान और ब्रुनी के लिए है तो सभी श्रेणीयों के कामगारों को साक्ष्यांकित नियोजन दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ईराक के लिए कामगारों की भर्ती पर प्रतिबंध/रोक

ईराक में सुरक्षा समस्याओं के मध्येनजर 15.04.2004 से ईराक में उत्प्रवासन की मंजूरी देने पर अस्थायी रूप से पूर्ण रोक लगाई है। उत्प्रवासी सरंक्षक 09.08.2005 से किसी भी खाड़ी देश को उत्प्रवासन मंजूरी देने/निलंबन करते समय पासपोर्ट पर 'ईराक में यात्रा के लिए वैध नहीं' मुहर लगाते हैं

बीमा नीति

(प्रवासी भारतीय बीमा योजना)

प्रवासी कामगारों के हितों की सरंक्षा के लिए भारत सरकार ने 'प्रवासी भारतीय बीमा योजना, **2003'** लागू की है जो उत्प्रवासी सरंक्षक से उत्प्रवास की मंजूरी चाहने वाले उत्प्रवासियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना है। इस योजना की प्रभावकारिता को ध्यान में रखते हुए, कामगारों को व्यापक और अधिक कवरेज देने की दृष्टि से 25 जनवरी, 2006 को प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2006 अधिसूचित की गई।

मुख्य विशेषताएं

इस संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

- क) बीमा पोलिसी न्यूनतम दो वर्षों की अवधि अथवा नियोजन संविदा की वास्तविक अवधि, जो भी अधिक हो, के लिए वैध होगी।
- ख) बीमांकित व्यक्ति की विदेश में नियोजन के समय मृत्यु अथवा स्थायी अशक्यता जिसके कारण नियोजन की हानि हुई हो, की स्थिति में न्यूनतम रुपये 5 लाख की राशि की कवरेज होगी।
- ग) मृत्यु की स्थित में, मृतक शरीर के परिवहन की लागत के अलावा, बीमा कंपनी एक परिचर के इकॉनामी श्रेणी के वापसी वायु किराए पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति भी करेगी। प्रतिपूर्ति का दावा यात्रा पूरी करने के 90 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को दायर किया जाएगा।
- घ) विदेश में नियोजन के समय मृत्यु अथवा किसी दुर्घटना/शारिरिक चोट के कारण स्थायी अशक्यता होने पर बीमा कंपनी, बीमा पॉलीसी की समाप्ति के बाद भी बीमांकित राशि की

प्रतिपूर्ति केरेगी बर्शेतें कि दुर्घटना बीमा कवर के चालू रहते हुई हो और इस संबंध में दुर्घटना की तारीख से 12 कलेंडर महीनों मे दावा दायर किया गया हो।

ङ) बीमा कंपनी, बीमा की अवधि के दौरान भारत में अथवा उसके नियोजन के देश में दुर्घटना के करण चोट और/अथवा बीमारी की आपात स्थिति में बीमांकित कामगार को अस्पताल में दाखिल करने के मामले में न्यूनतम रुपये 50 हजार का चिकित्सा बीमा कवर देगी।

च) बीमा कंपनी या तो नकदी रहित अस्पताल दाखिला देगी और/अथवा उपरोक्त (ड़) की स्थिति में वास्तविक चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगी बर्शेतें कि चिकित्सा उपचार भारत में लिया गया हो।

छ) यदि बीमांकित व्यक्ति बीमार हो जाता है अथवा कार्य प्रारंभ करने अथवा जारी करने अथवा पुन: प्रारंभ करने के लिए चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य घोषित किया गया हो और बीमा कवर लेने के पहले बारह माह में विदेशी नियोक्ता द्वारा नियोजन संविदा समाप्त कर दिया गया हो तो बीमा कंपनी एक तरफ का इँकानामी श्रेणी के वायु किराए की प्रतिपूर्ति करेगी बशर्ते कि प्रत्यावर्तन के कारण संबंधित भारतीय मिशन/ पोस्ट द्वारा सत्यापित हो और वायु टिकट मूल रूप में प्रस्तुत की गई हों।

ज) विदेश में अपने कार्यस्थल अथवा गन्तव्य पर पहुंचने पर यदि नियोक्ता उत्प्रवासी कामगार की अगवानी नहीं करता अथवा नौकरी/नियोजन संविदा/करार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो बीमांकित व्यक्ति के लिए अहितकारी है अथवा उत्प्रवासी के किसी दोष के बिना नियोजन की अवधि से पूर्व नियोजन समाप्त किया जाता है तो बीमा कंपनी एक तरफ का इकोनोमी श्रेणी के वायु किराए की प्रतिपूर्ति करेगी बशर्ते कि प्रत्यावर्तन के कारण संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा सत्यापित हो और वायु टिकट मूल रूप में प्रस्तुत की गई हों।

झ) भारतीय मिशन /पोस्ट द्वारा प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करने के मामले में बीमा कंपनी संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट को वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगी।

ञ) इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा में महिला उत्प्रवासियों को न्यूनतम रुपये 20 हजार का प्रसूति हितलाभ दिया जाएगा। नियोजन के देश में चिकित्सा उपचार के मामले में इसे संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा वांछित दस्तावेजों के सत्यापन पर ही दिया जाएगा। प्रतिपूर्ति वास्तविक खर्च तक सीमित रहेगी।

ट) भारत में उत्प्रवासी कामगार के परिवार जिसमें उसका पति/पत्नी और इक्कीस वर्ष तक की आयु के दो आश्रित बच्चे बीमांकित व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थायी अशक्यता की स्थिति में अधिकतम रुपये 25 हजार प्रतिवर्ष की राशि के अस्पताल दाखिले के पात्र होंगे।

ठ) बीमांकित व्यक्ति को अपने नियोजन से संबंधित किसी विवाद में उसके द्वारा किए गए विधिक खर्चों के संबंध में रुपये 25 हजार की न्यूनतम राशि का कवर दिया जाएगा बशर्ते की उस देश के उपयुक्त मंत्रालय द्वारा ऐसा मामला दायर करने की आवश्यकता सत्यापित की गई हो। संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट वास्तविक खर्चों का सत्यापन करेगा।

ड) बीमा कंपनियां उचित और यथोचित प्रीमियम लेंगी। सेवा कर यथा लागू प्रभारित होगा।

उचित प्रीमियम

इसके अलावा सरकार ने यह निर्धारित किया है कि उत्प्रवासी बीमा कवर लेते समय, उचित और बाजार निर्धारित मूल्य पर योजना के लिए प्रीमियम निर्धारित करके अपनी पसंद की कंपनी का चयन कर सकता है।

वायु किराया जमा वापसी

वर्ष 2003 में अनिवार्य प्रवासी भारतीय बीमा योजना लागू करने के बाद सरकार ने व्यैक्तिक उत्प्रवासी के लिए एक तरफा ईकॉनामी श्रेणी का वायु किराया जमा करने की आवश्यकता को वापिस ले लिया है। 25.12.2003 से पूर्व वापसी आने वाले उत्प्रवासियों द्वारा जमा की वापसी, नियोजन के लिए विदेश जाने वाले प्रत्येक व्यैक्तिक को प्रतिभूति के रूप में एक तरफ का वायु किराया जमा करवाना होता था। ऐसे उत्प्रवासी तीन वर्ष की अवधि के बीत जाने के बाद प्रतिभूति जमा की निकासी के पात्र है और जमा की निकासी के लिए उसे व्यैक्तिक रूप से अपना पासपोर्ट और बैंक रसीद सहित प्रयुक्त टिकट संबंधित उत्प्रवासी संरक्षक को प्रस्तुत करनी होगी। बैंक से जमा की निकासी मलेशिया में नियोजित किए जाने वाले संभावित उत्प्रवासी कामगारों हेतु प्रारंभिक पाठ्यक्रम के अनुमोदन लेने के बाद की जा सकती है।

- नियोजन के लिए मलेशिया जाने वाले भारतीय कामगारों को दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रारंभिक पाठ्यक्रम में भाग लेना होगा और वस्तुगत परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- इस पाठ्यक्रम का आयोजन मलेशिया सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसिया करती हैं।

शिकायतों का निवारण

नियोजन के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में विगत कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

शिकायतों का स्वरूप

- मेजबान देश में कामगार के पहुंचने के बाद संविदा को एकतरफा आशोधित अथवा कामगार के अहित में प्रस्तावित किया गया।
- कामगार को भारत में जिस कार्य के लिए उसकी भर्ती की गई थी उसे भिन्न कार्य में लगया गया।
- प्रायोजक ने कामगार को कोई रोजगार नहीं दिया। बल्कि उसे स्वयं को नौकरी तलाशनी है और उसके बदले में उसे प्रायोजक को अपने वेतन का एक हिस्सा मजबूरी में देना पड़ रहा है।
- पंजीकृत भर्ती एजेंट उत्प्रवासी कामगारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से काफी अधिक शुल्क ले रहे हैं।
- नियोक्ता ने समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया और नियोजन संविदा को समय से पूर्व समाप्त कर दिया।

- कुछ मामलों में कामगार असंतोषजनक जीवन-यापन और कार्यकारी स्थितियों/तंग करने और मृत्यु व अशक्यता क्षतिपूर्ति आदि के मना करना, दुर्व्यवहार और शारीरिक क्षति पहुंचाने की शिकायतें करते हैं।

भर्ती एजेंटों के विरूद्ध शिकायतें

उत्प्रवासियों/इच्छुक उत्प्रवासियों द्वारा की गई शिकायतों की गंभीर जांच की जाती है और आवश्यक होने पर विदेश में संबंधित भारतीय मिशन के परार्मश से उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक मामलें में उपयुक्त कार्यवाई की जाती है।

उत्प्रवासन अधिनियम,**1983** की धारा 10 में विदेश में नियोजन हेतु भर्ती का व्यापार करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात उत्प्रवासी महासंरक्षक, भारत सरकार के पास भर्ती एजेंटों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है। धारा 10 के प्रावधानों का उल्लंघन संज्ञेय अपराध है और अधिनियम की धारा 24 में ऐसे अपराध करने वालों अथवा अपराध का प्रयास करने वालों के लिए दण्ड निर्धारित है। इस प्रावधान के अंतर्गत सभी अपंजीकृत भर्ती एजेंटों पर अभियोग किया जा सकता है। उनके विरूद्ध शिकायतों को जांच और एफआईआर दायर करने के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को भेजा जाता है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जिला प्राधिकारियों, विशेषकर पुलिस प्राधिकारियों, को यह सुनिश्चित करने की सलाह दें कि गैर कानूनी भर्ती एजेंटों के विरूद्ध निवारक, सख्त और अनुकरणीय कारवाई की जाए।

पंजीकृत भर्ती एजेंटों के संबंध में उत्प्रवासी महासंरक्षक दोषी एजेंटों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित और निरस्ता करके कारवाई करता है। भर्तीएजेंट जिसका आचरण संदिग्ध पाया गया हो उसे आंतरिक निगरानी सूची में रखा जाता है। किसी एजेंट द्वारा बडी चूक करने पर भर्ती एजेंट द्वारा दी गई बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाता है और पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया जाता है। विदेशी नियोक्ताओं के विरूद्ध शिकायतों पर भारतीय विदेशी मिशन के साथ कार्यवाई की जाती है। अधिकांश शिकायतें नियोजन संविदा में परिवर्तन, वेतन के भुगतान न करने और कटौती, अस्वच्छ कार्यकारी स्थितियों आदि से संबंधित होती हैं। विदेशी कंपनीयों को जब कभी संविदा भंग करने और वेतन आदि का भुगतान न करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसी कंपनियों को काली सूची में डाला जाता है।

सार्वजनिक सुनवाई

उत्प्रवासी महासंरक्षक प्रत्येक बुधवार को पीजीई कार्यालय, दसवां तल, अकबर भवन, नई दिल्ली में उत्प्रवासियों के लिए प्रातः 10:00 से 12:00 दोपहर और भर्ती एजेंटों के लिए सांय 3:00 से 5:00 बजे तक सार्वजनिक सुनवाई करते हैं। कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति बिना पूर्व समयादेश के सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पीजीई से मिल सकता है।

महिला उत्प्रवासी

महिला उत्प्रवासियों की शोषण से रोकथाम के लिए 30 वर्ष से कम की विदेशी नियोजन की इच्छुक युवा ईसीआर पासपोर्ट धारक महिला को उत्प्रवासन मंजूरी प्रदान नहीं की जाती। भारतीय मिशन की सहायता से महिला उत्प्रवासन के ऑन-साईट कल्याण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

30 वर्ष और 50 वर्ष के आयु समूह की ईसीआर पासपोर्ट धारक महिलाओं को विदेशी नियोजन हेतु उत्प्रवासन प्रमाणपत्र दिया जा सकता है।

विदेश से धन-प्रेषण

धन-प्रेषण के लिए उत्प्रवासी कामगार जो छह माह से अधिक के लिए नियोजन हेतु विदेश जा रहे हैं, वे बचत बैंक खाता अर्थात 'एनआरआई बचत खाता' खोल सकता है। उत्प्रवासी कामगार जो छह माह से कम के लिए नियोजन हेतु विदेश जा रहे हैं वे बचत बैंक खाता अर्थात 'एनआरआई बचत खाता' खोल सकता है। खाता खोलने से पहले कामगार संबंधित बैंक से यह पता कर ले कि क्या उस विशेष बैंक की उस स्थान में शाखा है जहां वह काम करेगा। उत्प्रवासी कामगारों को हवाला के जरिए धन न भेजने की सलाह दी जाती है। यूटीआई बैंक की सहायता से उत्प्रवासी-मित्रवत ई-प्रेषण सुविधा प्रारंभ की गई है।

कंप्यूटरीकृत प्रचालन

सरकार प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, तीव्र, उत्प्रवासी अनुकूल बनाने के लिए उत्प्रवासन में समेकित ई-शासन कार्यान्वित कर रही है। सभी पणधारकों को अधिक जवाबदेही और आंकडा नियंत्रण के लिए एकसमान प्लेटफॉर्म पर जोडा जाएगा। कंप्यूटर के जरिए उत्प्रवासन मंजूरी देने की प्रक्रिया उत्प्रवासी संरक्षक, चण्डीगढ, कोचीन, चैन्नई, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, रॉयबरेली और त्रिवेंद्रम में पूर्ण की जा चुकी है।

संरक्षण और कल्याण उपाय

- विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की असुविधाओं को न्यून करने और प्रणाली में भ्रष्टाचार के प्रमुख स्त्रोत को दूर करने के लिए 1 अक्तूबर, 2007 से उत्प्रवासन मंजूरी आवश्यक निलंबन (ईसीआरएस) को समाप्त कर दिया गया है।
- जनता में उत्प्रवासन प्रक्रिया और शोषण से उत्प्रवासियों की संरक्षा संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सूचना अभियान प्रारंभ किया गया है।
- संभाव्य विदेशी कामगारों को कौशल उन्नयन प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों और औद्योगिक एसोसिएशनों के साथ साझेदारी में उन्मुख-व-कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है।
- जनवरी 2008 में 24x7 हैल्पलाईन शुरू करना प्रत्याशित है।

भारतीय प्रवासियों के लिए क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

- यह सुनिश्चित करें के आपके पास वैध पासपोर्ट है। अच्छा होगा कि पासपोर्ट आगामी छह माह के लिए वैध हो ताकि नियोजन के देश पहुंचने पर आपको कोई असुविधा न हो।
- यह सुनिश्चित करें कि आपकी भर्ती अधिकृत भर्ती एजेंट के जरिए की गई हो। उत्प्रवासी महासंरक्षक, दिल्ली द्वारा जारी उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र देखने पर जोर दें। संदेह होने पर निकटतम उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालय से संपर्क करें।

- यह सुनिश्चित करें कि आपके भर्ती एजेंट के पास निम्नलिखित दस्तावेजों के मूल उपलब्ध हैं:

i. विदेशी नियोक्ता द्वारा उसकी ओर से कामगारों की भर्ती करने हेतु प्राधिकृत करने वाला विधिवत साक्ष्यांकित मुख्तारनामा;

ii. मांग-पत्र जिसमें उसके द्वारा वांछित कामगारों की श्रेणियां इंगित हो और कामगारों को उसके द्वारा प्रस्तावित वेतन/अनुलब्धियां;

iii. निष्पादित किए जाने वाले प्रस्तावित नियोजन अनुबंध की नमूना प्रति;

iv. विदेशी सरकार द्वारा आपके नाम/पक्ष में जारी वीजा

- यह सुनिश्चित करें कि नियोजन दस्तावेज नियोजन देश में भारतीय मिशन द्वारा साक्ष्यांकित हों, यदि आप अकुशल कामगार/घरेलू सेवा कामगार के रूप में जा रहे है।
- यह सुनिश्चित करें कि आपके और आपके विदेशी नियोक्ता अथवा उसके एजेंट के बीच हस्ताक्षरित नियोजन अनुबंध की प्रति आपके पास हो।
- यह सुनिश्चित करें कि नियोजन अनुबंध में स्पष्ट रूप से आपके नियोक्ता का नाम और पूरा डाक पता, विदेशी मुद्रा में प्रतिमाह वेतन, संविदा/करार की अवधि, मुफ्त/सब्सिडीकृत आवास सुविधा, मैस अथवा उसके बदले में भत्ते, आने जाने का किराया, चिकित्सा सुविधा आदि।
- यह सुनिश्चित करें कि खाड़ी देशों में नियोजन के मामले में नियोजन करार अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में हो।
- यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने प्रस्थान से पूर्व भारत में किसी बैंक में अपना बचत बैंक खाता खोल लिया है ताकि भारत में आपके आश्रितों के लिए धन-प्रेषण का अबाध प्रवाह सुनिश्चित हो सके।
- यह सुनिश्चित करें कि वायुयान में बैठने से पूर्व आपके पास उचित टिकट हो और आपके पासपोर्ट पर वैध वीजा की मुहर लगी हो।
- यह सुनिश्चित करें कि स्थानीय श्रम नियमों के प्रावधानों से आप अवगत हैं। इस प्रयोजन के लिए आप अपने एजेंट से आग्रह कर सकते हैं अथव निकटतम उत्प्रवासी संरक्षक से संपर्क कर सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करें कि नियोजन के देश में कार्यकारी/जीवन-यापन स्थितियों के बारे में आपके भर्ती एजेंट ने आपको जानकारी दे दी है।
- यह सुनिश्चित करें कि नियोजन के देश में आपके आगमन के बाद आपने निवासी परमिट/पहचान-पत्र प्राप्त कर लिया है।
- यह सुनिश्चित करें कि अपने संविदा की प्रति आपने प्राप्त कर ली है।
- किसी कठिनाई की स्थिति में नियोजन के देश में भारतीय मिशन से संपर्क करें।
- यह ध्यान रखें कि संविदा समाप्ति पर भारत में अंतिम प्रस्थान करने से पूर्व आप अद्यतित सीमा-शुल्क और सामान विनियमों आदि की जानकारी के लिए संबंधित देशों में भारतीय मिशन से आपको संपर्क करना है।
- यह सुनिश्चित करें कि पासपोर्ट की प्रतिलिपि आपके और घर में आपके परिवार के पास उपलब्ध हो।

क्या न करें

- अपने एजेंट को बिना वैध रसीद लिए कोई धनराशि न दें।
- नियोजन अनुबंध पर तब तक हस्ताक्षर न करें जब तक कि आपने इसे पढ़ा न हो अथवा पढ़कर सुनाया न गया हो और इसके सभी वाक्य खण्ड आपने समझ लिए हो।
- नियोजन देश में आपके आगमन पर किसी सादे कागज पर हस्ताक्षर न करें अथवा भारत में आपके द्वारा हस्ताक्षरित और उत्प्रवासी संरक्षक के पास पंजीकृत करार के अलावा नियोक्ता को कोई अन्य करार निष्पादित करने की अनुमति न दें।
- भारत को तब तक न छोड़े जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपके नियोक्ता को आपके आगमन की तारीख और सही समय ज्ञात है ताकि आप वहां असहाय न हों।
- विदेशी नियोजन में रहते हुए हड़ताल, धीमी गति से काम करने और समूह प्रदर्शन आदि, जैसे किसी सामूहिक औद्योगिक कार्रवाई में भाग न लें क्योंकि ये अवैध है और प्रतिबंधित है। ऐसे किसी कार्यकलाप में आपकी संलिप्तता से आपको जेल अथवा वापस भारत में निर्वासन किया जा सकता है।
- अनुबंध की अवधि में विदेश में अपने प्रायोजक/नियोक्ता को न बदलें/अन्यथा,स्थानीय श्रम नियमों के अंतर्गत आपके ऊपर जुर्माना और लग सकता है और अन्य कार्रवाई हो सकती है।
- ईस्लामिक देशों में आपके रहने के समय गैर-ईस्लामिक धार्मिक कार्य न करें जैसेकि रमजान के महीने में सार्वजनिक स्थानों पर खाना, पीना अथवा धूम्रपान करना।
- खाड़ी देशों में आपके रहने के दौरान अपने पास मदिरा पेय न रखें और सेवन न करें।
- विदेश में आपके निवास की अवधि में अपने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को अपने से अलग न करें।
- कार्य-स्थल से आपके नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र के बिना कहीं न जाएं।
- दलालों/उप-एजेंटों के झांसे में न आएं क्योंकि वे आपका शोषण कर सकते हैं।

विदेश मामले मंत्रालय का यह मानना है कि लोग हमारे देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं और विदेश में नियोजन हेतु लोगों को उत्प्रवासन हेतु प्रोत्साहित और सुकर करने के प्रयास जारी रहेंगे। विदेश में भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रोत्साहित, संरक्षित और रक्षा करने के लिए हम आपके अन्य सुझावों का स्वागत करते हैं।

उत्प्रवासी महासंरक्षक का कार्यालय

उत्प्रवासी महासंरक्षक
कक्ष **1013**, विदेश मंत्रालय
अकबर भवन, सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली-**110021**
टेलीफैक्स: **91-11-26874250**
फैक्स: **91-11-24197984**
ई-मेल:**pge@mea.gov.in**

निदेशक (आई-I)
कक्ष **914**, विदेश मंत्रालय
अकबर भवन, सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली-**110021**
टेलीफोन: **91-11-24197914**
ई-मेल:**diremigration@mea.gov.in**

उत्प्रवासी संरक्षक
विदेश मंत्रालय, जैसलमेर हाउस,
कैन्टीन ब्लॉक, नई दिल्ली-**110011**
टेलीफैक्स: **11-23382472**
ई-मेल:**poedelhi@mea.gov.in**

उत्प्रवासी संरक्षक
विदेश मंत्रालय,
भवन ई, खीरा नगर, एस.वी.रोड़
सांता क्रूज (डब्ल्यू), मुंबई
नई दिल्ली-**110011**
टेलीफैक्स: **022-26614393/26614353/26608800**
ई-मेल:**poemumbai@mea.gov.in**

परिशिष्ट- I
174 देशों की सूची जिनमें उत्प्रवासन मंजूरी की आवश्यकता नहीं है (ईसीएनआर देश)

अल्बानिया, अल्जीरिया, अन्डोरा, अंगोला, एन्टीगुआ व बार्बुडा, अर्जेंटीना, अरमानिया, ऑस्ट्रोलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहामास, बंग्लादेश, बरबाडोस, बेलारूस, बेल्जियम, बिलीज, बेनिन, भूटान, बोलिवीया, बोस्नीया व हर्जेगोविना, बोत्सवाना, ब्राजिल, बुल्गारिया, बुक्रिना, फासो, बुन्डी, कम्बोडिया, कैमरून, कनाडा, कैप वर्डे सैन्ट्रल अफ्रीकन गणराज्य, चाड, चिली, चीन, कोलम्बिया, कोमोरोस, कॉगो , कोस्टारिका, कोट डिलवोर, क्रोएशिया, क्यूबा, साईप्रस, चेक गण्राज्य, डेमोक्रेटिक कोरिया गणराज्य, डेमोक्रेटिक कोंगा गणराज्य, डेनमार्क, डीजीबीटी, डोमनिका, डोमनिका गण्राज्य, एक्वाडोर, मिस्र, अल सल्वाडोर, इक्वाटोरियल गुनिया, इरिटोरिया, इस्टोनिया, इथोपिया, फिजी, फिनलैण्ड, फ्रांस, गबोन, जाम्बिया, जोर्जिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गुनिया, गुनिया बिसुआ, गुयाना, हैती होन्डूरस, हंगरी आईसलैण्ड, ईरान, आयलैण्ड, इज़राइल, इटली, जमैका, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, किरीबाती, किरगीस्तान, लाओ पीडीआर, लातविया, लेसोथो, लाईबेरिया, लिचटेन्सटाइन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मडागास्कर, मलावी, मालदीव, माली, माल्टा, मार्सल आईलैण्ड, मॉरिशस, मेक्सिको, माइक्रोनेसिया, माल्डोवा, मोनाको, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यंमार, नामिबिया, नौरू, नेपाल, नदरलैण्ड्स, न्यूजीलैण्ड, निकारागुआ, नाइगर, नाइजीरिया, नॉर्वे, पाकिस्तान, पालाऊ, पनामा, पपुआ न्यू गिनी, परागुए, पेरू, फिलीपिंस,

पोलैण्ड, पुर्तगाल, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रूस परिसंघ, रवाण्डा, सैट लूसिया, सैट विंसेन्ट व ग्रेनार्डीस, सामोआ, सान मारिओ, साओ टॉम व प्रिंसिप, सेनेगल, सर्बिया, सिसेल्स, सेरालिओन, सिंगापुर, स्लोवाकिया, सोलोमोन आइलैण्ड, सोमालिया, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, श्रीलंका, सूरीनाम, स्वाजीलैंड, स्वीडेन, स्विटजरलैंड, तजाकिस्तान, उत्तरी युगोस्लाव मेसेडोनिया गणराज्य, तिमोर लेस्ट, टोगो, टोंगा, त्रिनिनाड व टोबैगो, ट्यूनेसिया, तुर्की, तुक्रमेनिस्तान, तुवालू, युगांडा, युक्रेन, ब्रिटेन व उत्तरी आईलैण्ड, तंजानिया संयुक्त गणराज्य, सं.रा.अमरीका, उरूग्वे, उजबेकिस्तान, वानुआतु, वेनेजुएला, वियतनाम, जाम्बिया, जिम्बाब्वे

परिशिष्ट- II

देशों की सूची जिनमें उत्प्रवासन मंजूरी की आवश्यकता है (ईसीआर देश)

1) अफगानिस्तान
2) बेहरिन
3) इंडोनेशिया
4) ईराक (फिलहाल निलंबित)
5) जोर्डन
6) साऊदी अरब राष्ट्र
7) कुवेत
8) लेबनान
9) लिबिया (फिलहाल निलंबित)
10) मलेशिया
11) ओमान
12) कतार
13) दक्षिणी सूडान
14) सूडान
15) सीरिया
16) थाईलैंड
17) संयुक्त अरब अमीरात और
18) यमन (फिलहाल निलंबित)

****